



# आयालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला - झालावाड़ (राज.)


मगन वार्ड बनाम भगवान सिंह

सम मुकदमा पाण्डेय नं. 168 सन् 2024

क्रमांक	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18/12/24	<p>प्राचीन प्रोविडा क्रम 5 करण सिंह द्वारा यह प्राप्ति अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 CPC पेश किया गया। फिले वर्क रजिस्टर किया गया। मूल प्रकरण को तलब किया गया। मूल प्रकरण से वाडी के विवाद पूर्व से ही एपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। मूल वाड से अति वाडी क्रम 1, 2 व 4 के अंत होने का सूचना है। अतः अन्य कोई पक्षधार जीवित नहीं होने से प्रकरण से आभी प्राचीन को लीवी बहल प्राप्ति 09 R9 CPC सुनी गई। पत्रावली वाड आदेश प्राप्ति 09 R9 CPC दिनांक 7/01/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">         उपखण्ड अधिकारी        पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)     </p>	
07/01/25	<p>पत्रावली पेश हुई। आभी प्राचीन उपस्थित। बहल प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य से पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाड की आदेशिका का भी अवलोकन किया गया। मुताबिक आदेशिका (मूल वाड) दिनांक 18/12/2024, प्राप्ति पत्र के स्वयं अनुपस्थित रहने एवं आभी उपस्थित रहने से प्रकरण को default</p>	

मे dismiss किया गया था। प्रार्थी/प्रति क्रम 5 के  
 अनुसार वह कोर्ट परिसर में ही उपस्थित था  
 लेकिन केस में डी गई आवाप का पता नहीं  
 चलने से कोर्ट चेंबर में उपस्थित नहीं हुआ था।  
 प्रार्थी/प्रति 5 द्वारा same day ही ex-parte  
 order dated 18/12/2024 को set-aside कराने का  
 प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। प्रकरण प्रति 5/प्रार्थी  
 का counter-claim है अतः न्यायहित में  
 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कारण को स्वीकार कर  
 प्रार्थना वास्तु वाड रैस्टोरेशन स्वीकार किया जाता  
 है। मूलकास सं 173/2011 को re-store किया जावे।  
 पञ्चवली के समक्षुमार होकर नम्बर कम मूलवाड के  
 साथ सामंजन ही।



  
 07/01/25  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पिडावा, जिला झालावाड (राज०)